कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 5.5(1pm) **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर
जिला– सहरसा

04 APR 2018
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

A.D. 5.4.18

महाशय,

नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर के वर्ष जूलाई 2012 से 31.03.17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 985 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

S.O. 7
5.4.18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय

– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14712 / 374 **दिनांक–** 18.01.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सहरसा

तनवीर हसन 18/01/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

05 APR 2018
3268

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.-- 985 / 17--18

भाग-- I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर
2	लेखा परीक्षा की अवधि	जुलाई 2012 से 31.03.17
3	लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र	वर्ष जुलाई 2012 से 31.03.17 के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया एवं माह अप्रैल 2015,अप्रैल2016 का विस्तृत जाँच की गयी।
4	लेखा परीक्षा की तिथि	13.12.17 से 19.12.17 तक (6 कार्य दिवस)
5	कार्यपालक पदाधिकारी -- 1 श्री वृन्दा लाल 2 मो राशिद हुसैन 3 विमल कुमार 4 पवन कुमार 5 दिनेश राम 6 रीता कुमारी	कार्यकाल 30.03.2013 से 06.07.2013 06.07.2013 से 17.10.2013 18.10.2013 से 22.08.2014. 23.08.2014 से 17.03.2015 18.03.2015 से 06.09.2015 06.09.2015 से 31.03.2017
	अध्यक्ष- श्रीमती सीमा कुमारी गुप्ता	09.06.2012 से 31.03.2017
6	उपाध्यक्ष -- श्री विकास कुमार रिक्त श्रीमती रौशन आरा	 05.06.2012 से 19.03.2016 तक 20.03.2016 से 15.04.2016 तक 16.04.2016 से 31.03.2017
7	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1 श्री प्राण रंजन (स.ले.प.अ) 2 श्री सुमन कुमार ठाकुर (स.ले.प.अ.) 3 श्री अखिलेश कुमार व0 ले0
8	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	4 श्री राकेश कुमार मी (व.ले.प.अ.)
9	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	प्रथम अंकेक्षण
10	लेखा परीक्षा टिप्पणी	नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर ने सम्पत्ति कर, अनुज्ञप्ति शुल्क जैसे महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोत का अधिरोपण नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण अभिलेखों यथा अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी, मॉग एवं बकाया पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। अवरोधित राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा था, नगर पंचायत प्रशासन को लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
11	क्या आपत्तियों पर विभागीय विचार किया गया?	नहीं

दायित्व अस्वीकरण प्रमाण--पत्र

(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार पटना लेखा परीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कहीं उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II(क)

शून्य

भाग– II(ख)

कंडिका सं 1 न्यूनतम बोली से अधिक दर से क्रय करने से हानि रू 3.47 लाख एवं अन्य अनियमितताए रू. 53.21 लाख

नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर के स्वास्थ्य स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.07.15 के प्रस्ताव सं 07 के आलोक में 140 एल ई डी लाईट के क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 01 / 2015--16 के द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। किस अखबार मे प्रकाशित किया गया (तिथि स्पष्ट नहीं)।

प्रकाशित निविदा आमंत्रण के आलोक में छह निविदादाताओं के द्वारा निविदा डाली गई। जिसमें चार निविदादाताओं को तकनीकी रूप से सफल पाये जाने पर वित्तीय निविदा पर विचार शामिल किया गया जिनका विवरण निम्नलिखित था।

क्र सं	निविदादाता का नाम	सामग्री की विशिष्टता	दर अधिष्ठापन सहित
1.	अनील इलेक्ट्रीकल्स	बजाज 45 वाट	13600
2.	मेसर्स सिंह इलेक्ट्रीकल्स	सिस्का 45 वाट	14500
3.	शुभम इन्टरप्राइजेज	ओडीआई 45 वाट	11890
4.	मेसर्स नवीन कुमार	हवेल्स 45 वाट	11925

दिनांक 21.08.15 को तकनीकी निविदा के तुलनात्मक विवरणी में स्पष्ट लिखा हुआ था कि उपरोक्त सभी निविदा आमंत्रण सूचना के सभी शर्तों को पूरा करता है। मेसर्स नवीन कुमार के दर को निम्न पाते हुए उनसे दर वार्ता किया गया परंतु मेसर्स नवीन कुमार द्वारा लाइट अधिष्ठापन से संबंधित लिखित आवेदन दिये जाने के कारण अनील इलक्ट्रीकल्स से दर वार्ता की गयी अनील इलेक्ट्रीकल्स द्वारा 11800 रू दर से लाईट अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गयी। पत्रांक 448 दिनांक 28.08.14 के द्वारा अनील इलेक्ट्रीकल्स को 140 अदद एल ई डी लाईट अधिष्ठापन करने प्रति लाईट 11800 की दर से कार्यादेश दिया गया एवं कुल विपत्र की राशि 1652000 रू मे से 5 प्रतिशत सुरक्षित जमा कटौती कर 1569400 रू अनील इलक्ट्रीकल्स को भुगतान दिनांक 22.01.16 को किया गया। संचिका मे संलग्न विपत्र कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा पारित नही किया गया था। विपत्र पैडेड इनवाइस था जिसमे प्रिंटेड क्रम संख्या नहीं था, जिससे विपत्र सही प्रतीत नहीं होता है। विवरण निम्नलिखित है--

क्र सं	सामग्री	बिल सं / तारीख	संख्या	दर	राशि	वैट की राशि 13.5 प्रतिशत	कुल राशि
1	45 वाट एल ई डी लाईट एवं अन्य सामग्री	30 / 15--16 (हस्तलिखित)	140	9074.89	1270484.60	171515	1442000
2	अधिष्ठापन शुल्क	37 / 15--16 हस्तलिखित	140	1510	466500	0	466500
						योग	1652000
	5 प्रतिशत जमानत की कटौती						82600
	भुगतेय राशि						1569400

भुगतान का विवरण

चेक सं	तिथि	राशि
699372	22.01.16	1569400

पुनः 11800 प्रति एल ई डी लाईट दर से अनील इलेक्ट्रीकल्स को बोर्ड की सामान्य बैठक दिनांक 15.02.16 के प्रस्ताव सं 02 एवं 28.08.15 के प्रस्ताव संख्या 01 के आधार पर 311 अदद एल ई डी लाईट के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्यादेश नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा पत्रांक 174 दिनांक 06.04.16 को (311 X 11800= रू 3669800 मात्र) दिया गया; जबकि बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम 131 (क) के अनुसार 25 लाख से ज्यादा की खरीदारी में विज्ञापित निविदा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विज्ञापित निविदा के मामलों में विज्ञापन कलकत्ता से प्रकाशित Indian Trade Journal में तथा एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन दिया जाना चाहिए। उक्त नियमावली के नियम 131 (ज) (iv) के अनुसार बोली प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीन सप्ताह होनी चाहिए। बिहार वित्त नियमावली के नियम 126 के अनुसार सामग्री की खरीद के पूर्व उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिनांक 17.03.16 पत्रांक शून्य के माध्यम से अनील इलेक्ट्रीकल्स के द्वारा 311 लाईट के अधिष्ठापन संबंधित जानकारी देते हुए भुगतान करने हेतु विपत्र समर्पित किया गया। विवरण निम्नलिखित है:-

क सं	सामग्री	बिल सं / तारीख	संख्या	दर	राशि	वैट की राशि 13.5 प्रतिशत	कुल राशि
1	45 वाट एल इ डी लाईट एवं अन्य सामग्री	03 / 16--17 (हस्तलिखित)	311	8995.63	2797640	405857	3203299
2	अधिष्ठापन शुल्क	13 / 16--17 हस्तलिखित	311	1500	466500	0	466500
						योग	3669799
	5 प्रतिशत जमानत की कटौती						183490
	भुगतेय राशि						3486309

भुगतान का विवरण

चेक्र सं	तिथि	राशि
002303	28.09.2016	146309.00
398927	28.09.2016	200000.00
		346309.00

कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय पत्रांक 640 दिनांक 31.08.16 के द्वारा 305 स्थलों पर अधिष्ठापन जॉच हेतु क्योंकि उन्हे प्राप्त पत्र (संचिका मे संलग्न नहीं) के अनुसार 305 एल ई डी ही अधिष्ठापित किया गया था, कार्यालय सहायक को लिखा गया जिसके विरुद्ध कार्यालय कर्मी जिसमें कोई तकनीकी कर्मी शामिल नहीं थे के द्वारा 311 एल ई डी के अधिष्ठापन सबंधित प्रतिवेदन दिया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. तकनीकी रूप से सही पाकर एवं निविदा आमंत्रण सूचना के सभी शर्तों को पूरा करने पश्चात वित्तीय निविदा खोले जाने पर भी न्यूनतम दर पर निविदादाता शुभम इन्टरप्राईजेज के दर पर विचार नहीं किया गया। नियमानुसार न्यूनतम दर से क्रय किया जाना चाहिए था। न्यूनतम से क्रय नहीं करने के कारण 710 रू (11800–11090) प्रति एलईडी लाईट के दर से 451 (140+311) X 710 = 347270 रू हानि प्रतीत होती है। जवाब में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कहा गया कि सशक्त स्थायी समिति सह क्रय समिति के निर्णयानुसार क्रय किया गया। जवाब मान्य नहीं है। क्योंकि सशक्त स्थायी समिति सह क्रय समिति द्वारा हस्ताक्षरित तकनीकी निविदा के तुलनात्मक विवरणी में अंकित टिप्पणी के अनुसार उपरोक्त सभी छह निविदादाता को निविदा आमंत्रण सूचना के सभी शर्तों को पूरा करता हुआ पाया। अतः न्यूनतम दर वाले निविदादाता से क्रय नहीं करने के कारण रु 347270 की हानि हुई।

2. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 R(XII) के अनुसार Negotiation with bidders after bid opening must be severely discouraged. However in exceptional circumstances where price negotication against an ad-hoc procurement is necessary due to some unavoidable circumstances, the same may be resorted to only with the lowest evaluated responsive bidder.

बोली खोलने के बाद बोली दाता से दर वार्ता नहीं की जानी चाहिए, विशेष परिस्थिति में न्यूनतम दर वाले निविदादाता से ही की जानी चाहिए। उक्त क्रय में दर वार्ता को प्राथमिकता दी गई। दर वार्ता अधिकतम दर वाले निविदादाता के साथ की गई जो नियम विरुद्ध था। आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कहा गया कि कम दर प्राप्त करने के लिए दर वार्ता की गयी।

जवाब मान्य नहीं है। स्पष्टतः उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया गया।

3. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम 131 (ज) के अनुसार 25 लाख से ज्यादा की खरीदारी में विज्ञापित निविदा का प्रकाशन किया जाना चाहिए। विज्ञापित निविदा के मामलों में विज्ञापन

कलकत्ता से प्रकाशित Indian Trade Journal में तथा एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन दिया जाना चाहिए। उक्त नियमावली के नियम 131(ज) (iv) के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीन सप्ताह होनी चाहिए। बिहार वितीय नियमावली के नियम 126 के अनुसार सामग्री की खरीद के पूर्व उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि पूर्व निविदा से प्राप्त दर जो गलत था पर ही उसी आपूर्तिकर्ता को 311 अदद एल ई डी लाइट के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतू कार्यदेष निर्गत कर दिया गया जिसका मूल्य 36.69 लाख रु था जो रू. 25 लाख से उपर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रक्रियाओं से बचने हेतू जानबूझकर क्रय को दो भागो में 140 एवं 311 संख्या हेतू कार्यदेश निर्गत किया गया जिसका कुल मूल्य रू. 5321799 (1652000+ 3669799) था नियमावली का पालन नहीं करने के कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया गया।

जवाब में नगर पंचायत के द्वारा कहा गया कि भूलवश ऐसा हुआ भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों के पालन नहीं करने से नगर पंचायत अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने से वंचित रहा।

4. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक (बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड) ने अपने पत्रांक सं. 2834 दिनांक 14.12.13 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने पत्रांक 290 दिनांक 7.2.14 द्वारा यह आदेश दे रखा है कि बिना वैध विद्युत सम्बन्ध लिये किसी विभाग अथवा निकाय द्वारा हाई मास्ट लाइट/स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कराते हुए बिजली उपभोग किया जाता है तो उसे विद्युत के अनाधिकृत उपभोग की श्रेणी में मानते हुए कारवायी की जाएगी। संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि नगर पंचायत कार्यालय के पत्रांक 793 दिनांक 29.10.15 के द्वारा सहायक अभियंता विद्युत विभाग सिमरी बख्तियारपुर को विद्युत खंभा पर 140 एल ई डी अधिष्ठापन हेतु अनापत्ति प्रदान करते हुए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था संचिका से स्पष्ट होता है कि विद्युत विभाग के द्वारा इस पत्र के आलोक में कोई अनुमति नही दी गयी थी। पुनः स्थापित 311 एल ई डी लाईट के लिए विद्युत विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गयी। बिना वैध विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध के लाइट का अधिष्ठापन किया गया एवं वे सभी लाइट ठीक तरीके से जल रहे है इसकी जांच कैसे की गयी। नगर पंचायत के द्वारा स्पष्ट किया कि विद्युत विभाग को 140 एल ई डी के कनेक्शन हेतु पत्र भेजा गया था प्रत्युत्तर लंबित है। किन्तु विद्युत विपत्रों का भुगतान किया जा रहा है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि 140 एल ई डी लगाने से पूर्व विद्युत अनुमति प्राप्त नहीं की गयी और 311 लाईट के लिए तो किसी प्रकार पत्र भी नहीं भेजा गया। इस उपरोक्त पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

5. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 ण के अनुसार सूचना आमंत्रण में दो प्रतिशत अर्नेस्ट मनी का प्रावधान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

6. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 थ — अधिप्राप्ति प्रक्रिया में स्वेच्छाचारिता की समाप्ति एवं पारदर्शिता, प्रतिस्पर्द्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करना - सभी सरकारी खरीद पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए। यह संभावित बोलीकर्त्ताओं को विश्वास के साथ प्रतिस्पर्द्धी बोली लगाने में सक्षम होने के लिए सहायक होगा। उपर्युक्त को सुनिश्चित करने हेतु कुछ उपाय निम्नवत् है:-

(प) बोली दस्तावेज का मजमून बिना किसी अस्पष्टता के स्वतः स्पष्ट एवं बोधगम्य होना चाहिए। सभी आवश्यक सूचनायें जिनकी आवश्यकता बोलीकर्त्ता को बोली लगाने में होती है, बोली दस्तावेज में साधारण भाषा में साफ– साफ वर्णित होनी चाहिए।

उपरोक्त सामग्री के क्रय हेतु प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना में सामग्रियों के संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। संख्या अधिक रहने पर अधिक आपूर्तिकर्त्ता भाग लेते और नगर पंचायत को अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हो सकता था। नगर पंचायत के द्वारा जवाब में कहा गया कि भूलवश संख्या अंकित नहीं की गयी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा। जवाब मान्य नहीं है। निविदा आमंत्रण सूचना में संख्या उल्लेखित रहने से अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हो सकता था।

7. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 133 के अनुसार किसी आपूर्तिकर्त्ता से वस्तुओं एवं सामग्रियों की प्राप्ति–

(2) वस्तुओं की प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तुओं की मात्रा सही है गुणवत्ता आवश्यक विशिष्टियो के अनुसार है, तथा उसमें कोई त्रुटि या कमी नहीं है सभी सामग्रियों की गिनती मापी या तौल दृश्यमान् निरीक्षण में किया जाना चाहिए।

(3) इसके बाद समुचित भण्डार पंजी में प्राप्त की गयी वस्तुओं के विवरणों की प्रविष्टि की जानी चाहिए। भंडार के प्रभारी पदाधिकारी यह प्रमाणित करेंगे कि उनके भंडार में वस्तुएँ प्राप्त की है और समुचित भंडार पंजी में इसका संधारण किया है। पुनः बिहार लेखांकन नियमावली के नियम 105(2) के अनुसार भी सामग्री प्राप्ति के लेखांकन हेतु सामग्री प्राप्त नोट बी एम ए प्रपत्र संख्या 45 के रूप में तैयार रखा जाएगा जो कि आपूर्तिकर्ता के विपत्र के आधार पर तैयार किया जायेगा। लेकिन उपरोक्त सामग्री प्राप्ति का प्रमाण लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा भंडार पंजी का संधारण नहीं किया गया और न ही उपरोक्त सामग्रियों की प्राप्ति दर्शायी गयी। नगर पंचायत के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में भंडार पंजी का संधारण कर लिया जाएगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त नियमों का पालन नहीं की गयी। लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उल्लेखित संख्या में एल ई डी की प्राप्ति नगर पंचायतक कार्यालय में हुई या नहीं।

8. बिहार लेखा नियमावली के नियम 36(4) के अनुसार संबंधित विभाग विपत्र एवं सामग्रियों की संतोषप्रद प्राप्ति से संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच कर सुनिश्चित करेगा कि विपत्र के अनुसार दावा सही है तथा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

परंतु संचिका में संलग्न कार्यपालक पदाधिकारी के अभियंता इलेक्ट्रिकल्स को प्रेषित पत्रांक 814 दिनांक– 16.11.15 के अनुसार एल ई डी का अधिष्ठापन बिजली खम्भों पर किया जाना था जबकि कुछ एल ई डी लाईट को निजी आवासों एवं अन्य जगहों पर कर दिया गया जो सर्वथा अनुचित है। जिसे सही जगह पर लगाने हेतु निर्देश दिया गया। पुनः पत्रांक 23 दिनांक 14.01.2016 चार लाईट के अधिष्ठापन नहीं होने की बात कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की गयी। बावजूद इसके आपूर्तिकर्ता को भुगतान कर दिया गया। निर्धारित 140 जगहों पर एल ई डी लाईट लगाया गया इससे संबंधित अधिष्ठापन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। उपरोक्त कार्यादेश के आलोक में पुनः कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जाँच हेतु संख्या 305 उधृत करना एवं कार्यालय कर्मी के द्वारा 311 का सूची समर्पित करना संख्या संबंधित संदेह उत्पन्न करता है। जवाब में नगर पंचायत के द्वारा कहा गया कि अधिष्ठापन की सूची अंकेक्षण कार्यालय को भेज दी जाएगी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संचिका रहनी चाहिए थी।

9. – बिहार लेखा नियमावली के नियम 301 के अनुसार विपत्र भुगतान हेतु स्वीकार किया जाता है तो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी नोटसीट पर भुगतान आदेश पारित करेगा एवं भुगतान वाउचर पर हस्ताक्षर करेगा। 140 एल ई डी के विपत्र में भुगतान वाउचर पर हस्ताक्षर नहीं किया गया अर्थात अधिकारी के द्वारा अभिश्रव पारित नहीं किया गया। नगर पंचायत के द्वारा जवाब में कहा गया कि अभिश्रव पारित करा लिया जाएगा। जवाब मान्य नहीं है। इस प्रकार अपारित अभिश्रव पर अनियमित भुगतान किया गया।

10. बिहार वित्तीय नियमावली 2011 के नियम 43 के अनुसार प्रत्येक भुगतान वाउचर के साथ या पर भुगतान की पावती संलग्न की जाएगी जिस पर भुगतान हेतु दावा करने वाले व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर रहेगा। किसी प्रकार का भुगतान प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षरित करने के बाद ही किया जाएगा। उपरोक्त संचिका में प्राप्ति रसीद संलग्न नहीं थे। जवाब में नगर पंचायत के द्वारा कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है। उपरोक्त नियम का पालन नहीं किया गया।

11. कार्यादेश के अनुसार गुणवत्ता जाँच के उपरांत ही भुगतान किया जाना था। गुणवत्ता की जाँच किसी तकनीकी कर्मचारी अथवा पदाधिकारी के द्वारा ही की जा सकती है। गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन संचिका में नहीं पाया गया। जवाब में नगर पंचायत के द्वारा कहा गया कि तकनीकी पदाधिकारी की कमी के कारण तकनीकी जाँच नहीं करायी जा सकी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि प्राप्ति के समय गुणवत्ता की जाँच की जानी चाहिए थी।

12. अधिष्ठापित दर्शाये गये सभी एल ई डी का प्रमाण पत्र संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षद से अनुशंसित किया हुआ होना चाहिए। ऐसा प्रमाण पत्र संचिका में नहीं पाया गया। कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि अनुशंसा प्राप्त कर ली जाएगी। अतः अधिष्ठापन के संबंध में सुनिश्चितता स्पष्ट नहीं हो सकी।

13. एल ई डी के कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व आवश्यकता संबंधित कोई सर्वे नहीं कराया गया था। बिना आवश्यकता को जाने ही कार्यादेश निर्गत कर दिया गया। जवाब में कहा गया कि बोर्ड के निर्णयानुसार क्रय किया गया। जवाब मान्य नहीं है। क्योंकि क्रय करने से पूर्व आवश्यकता का सर्वे किया जाना चाहिए था।

14. अनिल इलेक्ट्रीकल्स के द्वारा समर्पित बिल पर क्रय आदेश संख्या अंकित नहीं है। नगर पंचायत के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। अतः जवाब के अनुसार कार्रवाई की जायं।

15. अनिल इलेक्ट्रीकल्स के द्वारा 31। संख्या के विपत्र के साथ संलग्न फार्म सी 3 पर वैधता की अवधि नही लिखी गई है। जिससे यह संदेहपूर्ण लगता है। क्या टैक्स की राशि 183490 रू आपूर्तिकर्ता को भुगतान से पूर्व उक्त फार्म की सत्यता की जाँच की गई।जवाब में नगर पंचायत के द्वारा कहा गया कि फार्म सी 3 का सत्यापन कराया जायेगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

16. नियमानुसार 10 लाख से अधिक के क्रय में कोटेशन एवं एग्रीमेंट किया जाना चाहिए था जो उपरोक्त क्रय में नहीं किया गया। जवाब में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त नियम की अवहेलना की गई।

कंडिका सं 2 सुरक्षित जमा राशि को समय पूर्व लौटाया जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता – रू 0.60 लाख

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना (अ.नि.) संख्या [illegible]/2014–15 में शर्त संख्या 15 के अनुसार संवेदक द्वारा जमा की गई सुरक्षित जमा राशि को तीन वर्षों तक योजना के देख–रेख हेतु कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। स्पष्टतः सुरक्षित जमा राशि को कार्य समाप्ति के तीन साल बाद वापस किया जाना चाहिए था। नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर कार्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों की अवहेलना करते हुए सुरक्षित जमा राशि की वापसी लगभग 1 वर्ष [illegible] कर दी गई जिससे संवेदक को अदेय सहायता पहुँचाया गया। विवरणी इस प्रकार है –

क सं	चेक सं / दिनांक	सुरक्षित जमा की वापस की गई राशि	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	एकरारनामा संख्या	[illegible]	योजना का नाम
1	398939 / 01.03.17	27382	26.[illegible].15	16 [illegible] / 14-15	[illegible]	वार्ड न0 1[illegible] में भोला साह के घर से मुन्नूलाल साह घर होते हुए कृष्ण कुमार घर तक नाला निर्माण
2	398942 / 10.03.17	17526	26.[illegible]3.15	[illegible] / 14-15	[illegible]	वार्ड न03 में डिस्ट्रिक बोर्ड सड़क से डॉ विवेकानंद के जमीन तक पी सी सी कार्य
3	398941 / 10.03.17	15276	2[illegible].3.15	[illegible] / 14-15	[illegible]	वार्ड न0 7 आर ई ओ रोड से इमामबाड़ा तक पी सी सी कार्य
	योग	60184				

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि मार्च 2015 से अप्रैल 2015 था। जिसके अनुसार सुरक्षित जमा राशि की वापसी मार्च 2018 के बाद किया जाना चाहिए था जबकि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा लगभग वर्ष पूर्व ही राशि वापस करके संवेदक को अदेय सहायता पहुँचाया गया।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। अत जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

कंडिका सं 3 एकल निविदा से कार्य का अनियमित रूप से आवंटन (रू 2.24 लाख)

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत वार्ड संख्या 13 में शुकल सादा के घर से राजेश सादा के घर होते हुए जगदीश साहा के घर तक सड़क निर्माण का प्राक्कलन रू 224130 बनाकर तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता (तुडा सहरसा) द्वारा दिनांक 03.03.14 को तथा प्रशासनिक स्वीकृति बोर्ड की दिनांक 12.06.14 को हुई बैठक में दी गयी। दिनांक 29.12.14 को निविदा आमंत्रण सूचना (01/14–15) अखबार (नाम नहीं) में प्रकाशित की गयी जिसमें निविदा प्राप्त करने एवं निविदा खोलने की निर्धारित तिथि क्रमशः 29.12.14 तथा 30.12.14 तय की गयी। निविदा खोलने के पश्चात मात्र एक निविदाकार श्री सज्जन कुमार, सिमरी बख्तियारपुर को दिनांक 08.01.15 को निविदा की स्वीकृति दी गयी। यद्यपि कार्यालय सहायक द्वारा तुलनात्मक विवरणी पर टिप्पणी दी कि चूंकि मामला एकल निविदा से संबंधित है अतएव सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति की जा सकती नहीं इस टिप्पणी को दरकिनार करते हुए एकल निविदाकार को कार्य आवंटित करते हुए दिनांक 02.02.15 को एकरारनामा (संख्या 1 F2/14–15) रू 221911 (बी ओ क्यू दर पर) पर किया गया।

बिहार वित्तीय नियमावली खंड 1 के नियम 234 के अनुसार प्रथम बार में एकल निविदा प्राप्त होने पर उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए तथा पुर्ननिविदा निकाला जाना चाहिए। वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए एकल निविदा की स्वीकृति नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर कार्यालय द्वारा दी गयी।

इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण दल के द्वारा अनुरोध किया गया था।

नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

स्पष्टतः एकल निविदा के मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके साथ ही किस अखबार में विज्ञापन दिया गया था उसकी प्रति उपलब्ध कराने एवं क्या पुर्ननिविदा प्रकाशित की गयी थी अथवा नहीं के संबंध में अनुरोध किये जाने पर कार्यालय के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

कंडिका सं 4 एकरारनामा के पूर्व परफारमेंस गारंटी की पूरी राशि नहीं लिए जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रू. 0.39 लाख)

संवेदक श्री धीरेन्द्र कुमार, बख्तियारपुर, सहरसा को वर्ष 2014–15 में तीन योजनाओं का आवंटन मिला था जिसकी विवरणी इस प्रकार है –

क्र सं	योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की राशि	जमा की जाने वाली परफारमेंस एवं एडिशनल परफारमेंस की राशि
1	वार्ड संख्या 12 हरिकेश मध्य विद्यालय गेट से [illegible] केशरी के घर होते हुए मस्जिद तक पी सी सी कार्य	[illegible]F2/14-15	[illegible]	60700
2	वार्ड संख्या 4 छेदन यादव घर से बलराम यादव घर तक पी सी सी कार्य	14F2/14-15	[illegible]	17700
3	वार्ड सं 15 आर इ ओ रोड से दयानंद यादव घर तक पी सी सी कार्य	[illegible]F2/14-15	[illegible]	30600
			योग	109000

संवेदक श्री धीरेन्द्र कुमार द्वारा नगर पंचायत कार्यालय, [illegible] में परफारमेंस गारंटी के रूप में मात्र 90800 रू का टर्म डिपोजिट जमा किया गया था जो नगर पंचायत कार्यालय (पत्रांक 03 दिनांक 02.01.15) द्वारा पोस्ट मास्टर (प्रधान डाकघर सहरसा) को सत्यापन के लिए भेजा गया (टी डी संख्या 805517, 805518, 805522, 805517, 905524) था। उपर्युक्त दोनों आंकड़ों के मिलान से स्पष्ट होता है कि कुल 109000 रू के विरूद्ध संवेदक द्वारा मात्र 70000 रू का टी डी परफारमेंस गारंटी के रूप में नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया गया था। नियमानुसार उन्हें निविदा का आवंटन नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार परफारमेंस गारंटी की पूर्ण राशि नहीं लिए जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता पहुँचाया गया।

आपत्ति के जवाब मे नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। अत जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

कंडिका सं 5 योजना कार्य संदिग्ध (रू 3.27 लाख)

योजना का नाम – वार्ड संख्या [illegible] में [illegible] यादव घर से [illegible] यादव घर तक पी सी सी सड़क निर्माण

एकरारनामा सं एव तिथि – 14F2/14-15 दिनांक 14.0[illegible]

एकरारनामा की राशि – रू 352903 ([illegible])

संवेदक का नाम – श्री धीरेन्द्र कुमार, [illegible], [illegible]

मापी पुस्त सं – 11/14-15

कार्य में कुल भुगतान – रू 326575

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) विलंब शुल्क की कम कटौती (रू 0.071 लाख)

एफ–2 एकरारनामा के क्लाउज 2 के अनुसार अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करता है तो उनके विपत्र से विलंब शुल्क की कटौती की जाएगी। जिसका दर आधा प्रतिशत की दर से अधिकतम एकरारनामा का 10 प्रतिशत होगा। संवेदक को कार्य को प्रारंभ करने का आदेश दिनांक 27.01.15 को मिला था और उन्हें दो महीने के अंदर अर्थात दिनांक 26.03.15 तक कार्य को पूरा करना था लेकिन उनके द्वारा कार्य लगभग साढ़े सात माह विलंब से (दिनांक 09.11.15) पूरा किया गया। इस प्रकार एकरारनामा की शर्तों के मुताबिक एकरारनामा राशि का 10 प्रतिशत अर्थात राशि रू 35290 की कटौती उनके विपत्र से कर ली जानी चाहिए था लेकिन संवेदक के विपत्र से मात्र रू 28144 की कटौती की गई थी। इस प्रकार संवेदक के विपत्र से राशि रू 7144 (35290– 28144) की कम कटौती करके उन्हें अदेय सहायता पहुँचाया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा दल के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भुगतान पूरा किया गया है सुरक्षित जमा राशि से इसकी कटौती कर ली जायेगी।

अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

(ख) पूरी लंबाई में बगैर पूरी खुदाई किए सड़क निर्माण कार्य संदिग्ध (रू 3.27 लाख)

प्राक्कलन के अनुसार 310 फीट सड़क की खुदाई करके उतनी ही लंबाई में ब्रीक सोलिंग एवं पी सी सी कार्य करना था। जो इस प्रकार है–

Excavation for Roadway in Soil using Manual means

प्राक्कलन के अनुसार	मापी पुस्त के अनुसार (बी/1)
100'X (8'+10')/2 X2' = 1800 cft	100'X (8'+10')/2 X1'10" = 1647 cft
100'X (8'+10')/2 X1'6" = 1350 cft	100'X (8'+10')/2 X1'6" = 1350 cft
110'X (8'+10')/2 X1' = 990 cft	
Total= 4140 cft	2997 cft

उपर्युक्त दोनों आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 310 फीट लंबाई में मिट्टी खुदाई के विरूद्ध मात्र 200 फीट लंबाई में मिट्टी की खुदाई की गयी। इसके बाद की प्रक्रिया यथा ब्रीक फ्लैट सोलिंग एवं पीसीसी कार्य 310 फीट लंबाई में किया गया। इस प्रकार 110 फीट लंबाई में (310 – 200) बगैर मिट्टी खुदाई किए हुए ब्रीक फ्लैट सोलिंग एवं पी सी सी कार्य कैसे संभव हुआ। इस प्रकार सड़क निर्माण कार्य संपूर्ण प्रतीत होता है एवं इस पर किया गया कुल व्यय रू 326575 संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि कनीय अभियंता से पूछताछ कर तदनुसार कारवाई की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप कारवाई कर फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं 6 योजना कार्य में अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताएँ रू. 0.24 (0.16+0.08) लाख

योजना का नाम -- वार्ड संख्या 12 हरिपुरा मध्य विद्यालय गेट से श्री ... बोखारी के घर होते हुए मस्जिद तक पी सी सी कार्य

एकरारनामा सं एवं तिथि -- 13F2/14--15 दिनांक 14.02.15

एकरारनामा की राशि -- रू 623261 (अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत नीचे)

संवेदक का नाम -- श्री वीरेन्द्र कुमार, ... , ...

मापी पुस्त सं -- 13/14--15

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) विलंब शुल्क की कम कटौती (रू 0.16 लाख)

एफ–2 एकरारनामा के क्लाउज 2 के अनुसार अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करता है तो उनके विपत्र से विलंब शुल्क की कटौती की जाएगी। जिसकी दर आधा प्रतिशत की दर से अधिकतम एकरारनामा का 10 प्रतिशत होगा। संवेदक को कार्य आवंटन दिनांक 17.01.15 को किया गया था एवं उसे तीन महीने के अंदर अर्थात दिनांक 28.04.15 तक कार्य को समाप्त करना था लेकिन उनके द्वारा कार्य लगभग साढे पाँच माह विलंब से अर्थात दिनांक 10.11.15 (मापी पुस्त पृष्ठ सं 3) को समाप्त किया गया। इस प्रकार विलंब शुल्क के रूप में उनके विपत्र से रू 62326 (एकरारनामा राशि का 10 प्रतिशत) की कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन उनके विपत्र से मात्र रू 46659 (मापी पुस्त पृष्ठ सं 6) की कटौती की गयी। इस प्रकार संवेदक के विपत्र से राशि रू 15667 (62326 - 46659) की कम कटौती करके उन्हें अदेय सहायता पहुँचाया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा दल के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके जवाब में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कहा गया कि भुगतान शेष विपत्र या सुरक्षित जमा राशि से इसकी कटौती कर ली जाएगी।

अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

(ख) ब्रीक सोलिंग पूरी लंबाई में कार्य नहीं करके पूरी मात्रा का भुगतान किए जाने के कारण कार्य में अधिक भुगतान (रू 0.087 लाख)

ब्रीक सोलिंग कार्य प्राक्कलन के हिसाब से 318 मीटर करना था जो इस प्रकार है --

23 X 10' 260 X 8'6" 15' X 9' 20' X 2'	2723 वर्ग फीट (253.0 वर्ग मीटर)

मापी पुस्तिका के अनुसार मात्र 2[illegible]3 फीट लंबाई में ब्रीक फलैट सोलिंग कार्य किया गया।

प्राक्कलन के अनुसार	मापी पुस्तिका पृष्ठ सं. / 1—2 पर 255.08 वर्ग मीटर
23'X (10'+9'4")/2 = 222.29 sft	
250' X (9'+10')/2 = 2375 sft	
15' X (10'+9'8")/2 = 147.45 sft	
Total = 278 ft [illegible]744 sft	

अर्थात 313 फीट लंबाई के विरूद्ध मात्र 278 फीट लंबाई में कार्य किया गया लेकिन कार्य में प्राक्कलित 2723 वर्गफीट (253.0 वर्गमीटर) से कहीं ज्यादा ही कार्य की मात्रा (2744 वर्गफीट) का भुगतान लिया गया। अतएव 40 फीट कम ([illegible]—278) लंबाई में कार्य का भुगतान (40' X9'=360 वर्गफीट =33.43 वर्गमीटर) रू 8670 (33.43 M [illegible] 36 [illegible]) वसूलनीय है।

इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि राशि की [illegible] कर वसूल की जाएगी।

अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

(ग) पूरी लंबाई में पी सी सी कार्य नहीं किये जाने से कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं

प्राक्कलन के हिसाब से [illegible]4 फीट लंबाई में पी सी सी कार्य कराना था (23+400+11+200)' लेकिन मापी पुस्तिका के हिसाब से मात्र 55[illegible] फीट (50[illegible]+21+9[illegible]+27') में पी सी सी कार्य पर (मापी पुस्तिका पृष्ठ सं [illegible]—3) कार्य किया गया। इस प्रकार [illegible] फीट लंबाई में सड़क निर्माण कार्य नहीं किया गया। प्राक्कलन स्थलीय निरीक्षण के [illegible] ऐसी [illegible] है कि सड़क का प्राक्कलन स्थल निरीक्षण के उपरांत नहीं बनाया गया है। ऐसी ही परिस्थिति में कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा स्थिति स्पष्ट कराने हेतु अनुरोध किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि स्थल की अनुपलब्धता के कारण पी सी सी कार्य पूरा नहीं किया जा सका। जैसा कि जवाब से भी स्पष्ट होता है कि पूरी लंबाई में पी सी सी कार्य नहीं किये जाने से कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(घ) कार्य की मापी दोषपूर्ण

कनीय अभियंता द्वारा 100 फीट से [illegible] ऊंचाई तक मापी [illegible] पूरे [illegible] की [illegible] के रूप में (250'X. <u>9'+10'</u>) दर्शाया गया था। [illegible] क्योंकि मापी के [illegible] की ऊंचाई 100 फीट

2

से ज्यादा नहीं होती है। अतएव एक ही [illegible] में 100 फीट की मापी [illegible] दोषपूर्ण है।

इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। अतः [illegible] के अनुरूप कारवाई की जाय।

कंडिका सं. 7 योजना में अधिक [illegible] एवं अनियमितता 1.27 लाख (0.14 1.13)

योजनाओं के नमूना जॉच में निम्नलिखित योजना की जाँच की गयी :

योजना सं एवं वर्ष	[illegible]/2015--16
योजना का नाम	[illegible] अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय से मो० [illegible] सलम के घर होते हुए मों0 [illegible] के घर तक [illegible] नाला निर्माण
प्राक्कलित राशि	464800
मद	[illegible] राज्य वित्त
एजेंसी	श्री [illegible] कुमार [illegible] अभियंता
मापी पुस्तिका की राशि	[illegible]
प्राप्त अभिश्रव की राशि	[illegible]3663

अभिश्रव का विवरण

अभिश्रव का प्रकार	संख्या /तिथि	सामग्री	मात्रा	दर	कुल राशि	वैट की राशि	रायल्टी की राशि
हैंड रिसीप्ट	0 / 13.12.15	लोकल बालू	5.35 घ० मी० 5.35 घ० मी०	[illegible] प्रति घ० मी० 188.[illegible] प्रति घ० मी० ढुलाई	[illegible]	0	268
बिल आपूर्तिकर्ता -- मंजिल ब्रीक वर्क्स सिमरी बख्तियारपुर	14.12.15	ईंट	[illegible]	[illegible] प्रति हजार	10[illegible]	[illegible]	56
हैंड रिसीप्ट ढुलाई	14.12.15	ईंट	1919	500.[illegible] प्रति हजार	[illegible]	0	0
बिल बजरंग इंटरप्राईजेज	16.12.15	स्टील बार	[illegible] किलोग्राम [illegible] किलोग्राम	[illegible] रु प्रति किलोग्राम 50.[illegible] रु प्रति किलोग्राम	[illegible]387 4[illegible]7	5634	0
बिल बजरंग इंटरप्राईजेज	16.12.15	सीमेंट	18.30 मी०	6261.36 रु प्रति मी०	114771	15434	0
	16.12.15	मोटा बालू	26.83 घ० मी०	144.35 प्रति घ० मी०	3861	194	1341
		स्टोन चिप्स	22.83 घ० मी०	61[illegible] प्रति घ० मी०	13994	700	2283
हैंड रिसीप्ट ढुलाई	16.12.15	स्टोन चिप्स	22.8[illegible] घ० मी०	1767.[illegible] प्रति घ० मी०	40[illegible]	0	0
	16.12.15	मोटा बालू	26.83 घ० मी०	2517.84 प्रति घ० मी०	[illegible]	0	0
	16.12.15	ईंट	2.13 [illegible]	[illegible] प्रति [illegible]	[illegible]20	0	0
					174159	22801	3948

मस्टर रोल की राशि --59825 रु मस्टर रोल पर तिथि अंकित नहीं, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं

भुगतान योग्य राशि -- अभिश्रव की राशि	-	374159
मस्टर रोल की राशि	--	59825
योग	--	433984
(–) रायल्टी की राशि	--	3948
(–) पेंट की राशि	–	22801
		407235
कनीय अभियंता का भुगतान की गई राशि	--	422187
अधिक भुगतान की गयी राशि	--	14952

अंकेक्षण टिप्पणी

1. अधिक भुगतान की गयी राशि 14952 रु संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि समन्जन कर संबंधित से राशि की वसूली की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कारवाई की जाय।

2. मस्टर रोल पर कार्य अवधि अंकित नहीं है। जिससे कार्य किन तिथियों को किया गया यह स्पष्ट नहीं है। जिससे कार्य के क्रियान्वयन संदेहपूर्ण होता है। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भूलवश अवधि अंकित नहीं किया गया है भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है। बिना अवधि अंकित के मास्टर रोल की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण है कि कार्य किन अवधियों में कराया गया।

3. मस्टर रोल को पारित किये बिना ही रु 59825 का अनियमित भुगतान कर दिया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि मास्टर रोल पारित करा लिया जाएगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि पारित अभिश्रव पर ही भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु 59825 का अनियमित भुगतान कर दिया गया।

4. हस्त रसीद पर अनियमित भुगतान (रु 1.13 लाख)

बिहार सरकार की विभागीय अधिसूचना सं 873 दिनांक 06 मई 1977 एवं 1596 दिनांक 10 जून 1980 के अनुसार हस्त रसीद पर भुगतान किसी आपातस्थिति परिस्थितियों यथा -- बाढ़, भुकम्प आदि मामलों में देय है अन्यथा सामान्य मामलों पर हस्त रसीद पर भुगतान मान्य नहीं है।

योजना संचिका, मापी पुस्तिका एवं अभिश्रव की जाँच में पाया गया कि योजना कार्य हस्त रसीद पर भुगतान किया गया है जिसकी विवरणी इस प्रकार है-

अभिश्रव का प्रकार	संख्या / तिथि	सामग्री	कुल राशि
हैंड रिसीप्ट	0 / 13.12.15	लोकल बालू	[illegible]
हैंड रिसीप्ट ढुलाई	14 12 15	ब्रीक	1023
हैंड रिसीप्ट ढुलाई	15.12.15	स्टोन चिप्स	4136
	15.12.15	नदि बालू	65700
	15.12.15	छड़	328
			113257

नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है। हस्तरसीद पर रू 113257 का अनियमित भुगतान किया गया।

5. ढुलाई की दर एस ओ आर के स्थान से दूरी के आधार पर निर्धारित की गई थी। लेकिन सभी सामग्री नगर पंचायत के क्षेत्र में अवस्थित दुकानों से क्रय की गयी थी तथा अन्य व्यक्ति के द्वारा ढोकर कार्यस्थल पर लाया गया। उन व्यक्तियों को एस ओ आर में अंकित दरों के आधार ढुलाई का भुगतान किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अपने स्तर से जाँच कर लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया कि उपरोक्त दुकानों से योजनास्थल की दूरी कितनी थी एवं उस दूरी हेतु निर्धारित सरकारी दर क्या था। जवाब में कहा गया कि [illegible] से [illegible] प्राप्त कर संबंधित जानकारी अंकेक्षण कार्यालय को दी जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

कंडिका सं 8 करों की कटौती की गई राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं - रू 7.55 लाख

नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार विभिन्न योजनाओं में कटौती की गयी राशि रू [illegible] संबंधित शीर्ष में लेखापरीक्षा अवधि तक जमा नहीं किया गया। विवरण निम्नलिखित है-

क्र सं	कर के प्रकार	कटौती की अवधि	कर की राशि रू
1	बिक्री कर / वैट	16--17	309981
2	टी.डी.एस	16--17	[illegible]
3	रायल्टी	16--17	264238
4	श्रम सेस	14--15 से 16--17	139738
		योग	754911

यहाँ उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी करों में ससमय जमा नहीं किये जाने से पेनाल्टी का भी प्रावधान है। इस प्रकार रू 754911 अवरोधित कर रखा है।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सभी कटौती करों को संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाएगा।

कंडिका सं 9 प्रत्यक्ष विनियोग — रु 0.13 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22(2) के अनुसार — नगरपालिका की ओर से प्राप्त राशि बिना खाता में दर्ज किये तथा कोषागार/बैंक खातों में जमा किए खर्च नहीं किया जा सकता है।

नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर के [illegible] से आय से संबंधित आय के रोकडबही के जाँच में पाया गया कि दिनांक [illegible] को [illegible] 2014-15 से प्राप्त नकद आय रू. 15000 में से 13094 रू को बिना कोषागार/बैंक खातों में जमा किये ही कार्यालय कार्य में व्यय किया गया एवं उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया गया।

उपरोक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किये जाने पर नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार 13094 रू का अनियमित व्यय किया गया।

कंडिका सं 10 योजना क्रियान्वयन में अनियमितता एवं अधिक भुगतान, राशि रू0 1.66 लाख

योजना सं0— 17/15—16

मद का नाम— राज्य योजना मद निर्माण एवं [illegible] वर्ष 2013-14

योजना का नाम— वार्ड नं. 13 अन्तर्गत एन.एच. 107 से बौकू साह के घर होते हुए छरहर जाने वाली सड़क में मिट्टी भराई ईंट सोलिंग एवं पी.सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि—649300.00 रू

अभिकर्त्ता का नाम—श्री विजेश कुमार, कनीय अभियंता

योजना में कुल भुगतान— 641500.00 रु

मापी की राशि—647973.00 रू

अभ्यावेदित की राशि— 518648.00 रु0

मस्टर रौल की राशि— 122918.00 रू0

भौतिक स्थिति—पूर्ण

अंकेक्षण आपत्ति—

1 सामग्री के ढुलाई पर व्यय रू0 1.63 लाख

योजना में प्रयुक्त स्टोन चिप्स तथा मोटा बालू का क्रय स्थानीय बाजार से मेसर्स शिवम ट्रेडर्स, कानु टोला बजरंग [illegible] चौक सिमरी बख्तियारपुर से किया गया था। संचिका में उक्त सामग्रीयों के क्रय से संबंधित अभिश्रव के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त सामग्रीयों का क्रय स्थानिय बाजार से किया गया था। जबकि योजना में प्रयुक्त [illegible] के ढुलाई पर [illegible] से लाने के दर पर किया गया था। जो कि [illegible] नहीं था। [illegible] है—

सामग्री	मात्रा	ढुलाई दर	कुल भुगतान
स्टोन चिप्स	51.41 मी³	194.87 / मी³	99075 [illegible]
मोटा बालू	26 मी³	23[illegible].33 / मी³	[illegible]
			174279

लघु खनिज के ढुलाई पर अव्यावहारिक [illegible] रू0 158[illegible] [illegible] के [illegible] से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

जवाब में बताया गया कि जाँच कर [illegible] ढुलाई [illegible] [illegible] की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि [illegible] से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

2 श्रम सेस की कम कटौती रू0 [illegible] [illegible] श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना द्वारा दिनांक 10. 06.2008 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार के [illegible] सरकार के कार्य विभागों व केन्द्र सरकार के सभी उपक्रमों को कराये गये योजनाओं पर खर्च की गई राशि का 1 प्रतिशत श्रम सेस के रूप में जमा करना है। जो श्रमिकों के कल्याणकारी कार्य पर खर्च किया जायेगे, लेकिन इस योजना के मापी पुस्त में कुल खर्च रू0 64797[illegible].00 दिखाया गया है। नियमानुसार 1 प्रतिशत श्रम सेस रू0 6480.00 होता है परन्तु योजना में श्रम सेस के रूप में मात्र रू0 1229 की कटौती किया गया था। इस प्रकार रू0 5251 की कम कटौती की गई थी।

जवाब में बताया गया कि श्रम सेस की वसूली कर ली जाएगी।

अतः अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप कारवाई कर फलाफल से अवगत कराया जाय।

3 योजना का फोटो संचिका में अनुपलब्ध - मापी पुस्त तथा संचिका के अनुसार योजना पर बोर्ड तथा फोटो पर रू0 5000 का व्यय किया गया है, लेकिन संचिका में योजना का फोटो संलग्न नहीं पाया गया।

जवाब में बताया गया कि फोटो कर संचिका में लगा दिया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप कार्रवाई किया जाय।

4 मस्टर रौल पर भुगतान का सत्यापन तथा पारित नहीं - योजना में रू0 121699 तथा लेबर सेस के रू0 1216 कुल रू0 122915 का भुगतान किया गया था। [illegible] अभिकर्ता द्वारा भुगतान का सत्यापन तथा मस्टर रौल को पारित नहीं किया गया था तथा [illegible] की राशि को भी मस्टर रौल में अंकित किया गया था। जबकि नियमानुसार लेबर सेस की राशि अनुसूचित दर में सम्मिलित होती है तथा इसे अलग से प्राक्कलन में या मस्टर रौल में अंकित नहीं किया जाता है। मस्टर रौल पर भुगतान का सत्यापन तथा पारित नहीं होने से इस [illegible] रू0 121699 मान्य नहीं था।

जवाब में बताया गया कि भूलवश ऐसा हुआ है, भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अभिकर्ता को पारित किये बिना अभिकर्ता का भुगतान नहीं किया जाना था।